



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0- कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 870/33 सी

दिनांक 18/04/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 4.500 कि०मी०) (FP/UK/ROAD/30646/2017)
सन्दर्भ :- ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 03.03.2018

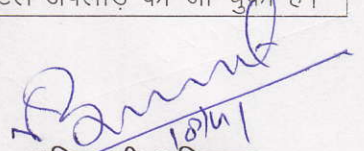
महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 16 दिसम्बर 2017 को ऑन लाईन कमियों से इस खण्ड को प्राप्त हुई है जिसका निराकरण निम्नवत किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Sl. No.	User agency against E.D.S.	E.D.S. Reply
1	2	3
1	Please provide seprate component wise break up in B 2.4 As -a - road construction. B muck dumping.	मलवा निस्तारण में ली जाने वाली भूमि मलवा निस्तारण के पश्चात भी काश्तकारों के स्वामित्व की ही रहती है जिस कारण कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेक अप में मलवा निस्तारण की भूमि का नहीं जोड़ा गया है।
2	FRA certificate and proceedings of the meeting of DM level committee is without any date.	एफ०आर०ए० सर्टिफिकेट में जिलाधिकारी लेवल कमेटी में दिनांक अंकित की जा चुकी है।
3	Please upload proper and detailed justification for the proposed project in forest area.	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु विस्तृत में जस्टिफिकेशन डीटेल अपलोड की जा चुकी है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।



अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

No--- 1082 / XXVI-150 (2016-17 dt) Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----

Dated----- 25/03/2017

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Kirtinagar** (name of user agency) for **Jamnikhali to Barguru to Bhainskot** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri** district falls within jurisdiction of ----- village (s) in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Each: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

Dated- 25/03/2017

(सुन्दर चौधरी)
Signature
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

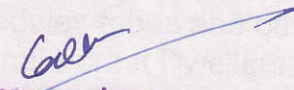
**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri (इन्दुवर बौड़ाई) I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **1.785 Hectare** for the construction of **Jamnikhali to Chaudiyon to Barguru to Bhainskot Motor Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri


(इन्दुवर बौड़ाई)
District Collector Cum Chairman

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
District Tehri Garhwal
New Tehri

It is further certified that – Minutes of meeting of Jamnikhal to Chaudiyon to Barguru to Bhainskot Motor Road (4.500 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.785 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

211
जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचायत-मल्लेगांव-37
जमिंदारी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभारित समाधिकारी
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती
मुनिकीरेती

Signature

(इन्दुधर बौड़ार्ह)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप सं० - 1.90

भू-अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम -
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

स्वीकृति सन्दर्भ :-

1144 / 111(2) / 14-72(प्रा०आ०) / 2013 दिनांक 04.03.2014

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग 4.500 कि०मी० हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर ही 4.500 कि०मी० लम्बाई हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये 0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 1.785 है० सिविल वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.785 है० का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 1.365 है० ग्राम पंचायत नागचौड़, जोनियाणा, भैंसकोट के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

अध्यक्ष-नाम
ग्राम-देवप्रयाग
तहसील-गढ़वाल

18/07/16
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
देवप्रयाग, टिहरी
उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी मढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग के (0.00 आरक्षित वन भूमि, 1.785 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.785 हे०) का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 12/8/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक वै.के. मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री <u>वै.के. मिश्र</u>	उपजिलाधिकारी	<u>12/8/16</u>	अध्यक्ष
2. श्री <u>डी.पी. बल्लभ</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	<u>12/8/16</u>	सदस्य
3. श्री <u>वि.ना. उमर उर्फ उमर</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	<u>12/8/16</u>	सदस्य
4. श्री <u>वि.ना. देवी</u>	बी०डी०सी० क्षेत्र	<u>12/8/16</u>	सचिव
5. श्री <u>वि.ना. देवी</u>	बी०डी०सी० क्षेत्र	<u>12/8/16</u>	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.785 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत जामणीखाल का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से जामणीखाल के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.785 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

12/08/16
उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
कीर्तिनगर, दि. १०

तहसील- देवप्रयाग
जनपद- टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12/08/16
उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड, स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- देवप्रयाग
जनपद- टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य।
(लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

दिनांक 12-8-2016 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद- टिहरी गढ़वाल।

1.	श्री के. के. मिश्र कृष्ण कुमार मिश्र	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	 उप जिलाधिकारी
2.	डी० पी० बजोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	डी० पी० बजोनी उप प्रभागीय वनाधिकारी
3.	विनीत कुमार अग्रवाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	विनीत कुमार अग्रवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग (देवप्रयाग)
4.	विशाला देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	विशाला देवी सदस्य मौज बाबायत-रुमघाट वि. सं. देवप्रयाग (वि. सं.)

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- जौगियाणा (गमडियाणा)
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट निर्माण के परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 आवेदित वन भूमि, 1.785 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.785 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जौगियाणा (गमडियाणा) द्वारा दिनांक 5/1/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जौगियाणा (गमडियाणा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

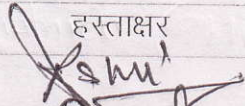
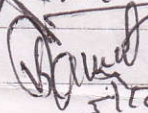
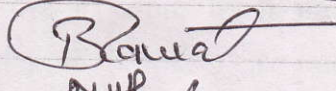
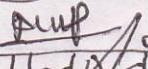
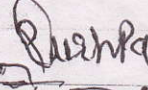
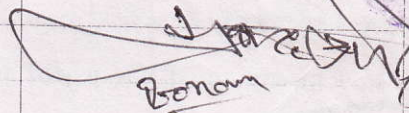
हस्ताक्षर प्रधान विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत देवप्रयाग

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो सक्षम विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



दिनांक 5/7/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जोगियाणा (भालियाणा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	सोनी राम सिंह	
2	विष्णु सिंह चौक	
3	जोगियाणा चौक	जोगियाणा चौक
4	बाले-पुल्लि	
5	अमरवीर	
6	दयाल सिंह	दयाल सिंह
7	मुक्ता देवी	
8	सुलोचना देवी	सुलोचना देवी
9	शकुन्ता देवी	
10	संगीता देवी	संगीता देवी
11	सुमित्रा देवी	
12	कमला देवी	कमला देवी
13	अनन्दराज जोशी	
15	अनम जोशी	अनम जोशी
16	राजेश जोशी	राजेश जोशी
17	माधवी जोशी	माधवी जोशी
	मुक्ता	मुक्ता
	मीरा सिंह	मीरा सिंह
18	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विष्णु लाल देवप्रसाद
वि. तिहरी गढ़वाल



परियोजना का नाम— जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य।
(लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— भैंसकोट
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट निर्माण के परियोजना के निर्माण हेतु 1.785 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.785 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भैंसकोट द्वारा दिनांक 5/7/06 को सम्पन्न वन सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भैंसकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/

ग्राम प्रधान

नोट—

प्रपत्र

उक्त

एजेन्सी

को

उप

जिलाधिकारी

की

अध्यक्षता

में

गठित

समिति

द्वारा

प्राप्त

कर

प्रयोक्ता

को

उपलब्ध

कराया

जायेगा।

ह०/

ग्राम प्रधान

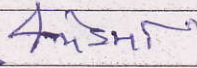
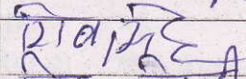
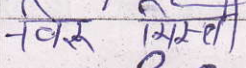
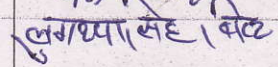
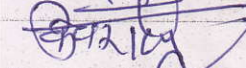
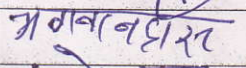
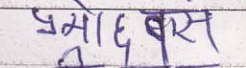
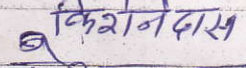
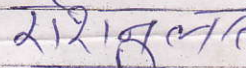
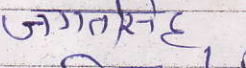
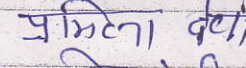
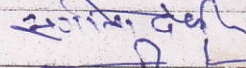
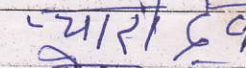
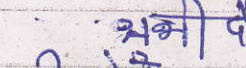
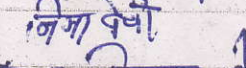
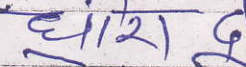
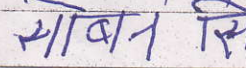


विशाल देवी
सदस्य

क्षेत्र पंचायत-समवाय
वि. ख. देवप्रयाग (दि० ०५/०७/२०१६)

दिनांक 5/7/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत, शिवपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बिनोद सिंह मिश्र	
2	जगत सिंह बिष्ट	
3	बिनोद सिंह बिष्ट	
4	किशु मिश्री	
5	पजर सिंह बिष्ट	
6	लुगण्णा सिंह बिष्ट	
7	राम दास धुबि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य	
8	बुकर सिंह बिष्ट	
9	भगवान दास	
10	प्रमोद दास	
11	किशन दास	
12	शशिभक्त	
13	जगत सिंह श्रो हुकन सिंह	
14	प्रमिला देवी	
15	सगीमा देवी	
16	प्यारी देवी	
17	सुरेश दास	
18	शशी देवी	
19	निमा देवी	
20	चरित देवी	
21	शिवन सिंह	
22		
23		
24		

ह0 / -
ग्राम प्रधान
विशाल देवी
सदस्य

ग्राम पंचायत-समिति
संप्रदाय (दि0 05/7/16)



परियोजना विवरण :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

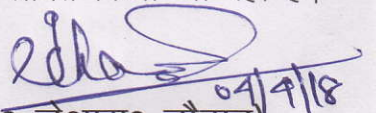
प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.500 कि०मी० लम्बाई हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं० 1144/111(2)/14-72 (प्रा०आ०)/2013 दिनांक 04.03.2014 द्वारा रु० 62.24 लाख की प्राप्त हुई है।

उक्त मार्ग के नव निर्माण हेतु समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी द्वारा उनके पत्रांक 2694/839 सी०-8/2016 दिनांक 09.06.2016 से स्वीकृत है तथा संरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक विजय डंगवाल प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून दिनांक 28.02.2015 से प्राप्त है। उपरोक्त मार्ग के स्थल का संयुक्त निरीक्षण लो०नि०वि० एवं वन विभाग मणिकनाथ रेंज डंगचौरा एवं सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक व अन्य दावेदारों की ओर से प्रधान के साथ दिनांक 29.04.2015 में किये जाने के उपरान्त ही वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। वर्तमान में ग्राम चौड़ियों बारगुरु हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मोटर मार्ग नहीं है एवं लोगों को पैदल ही आवाजाही करनी पड़ती है। जिस वजह से लोगों की आवाजाही में समय अधिक लगता है, एवं अतिआवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने में ग्राम वासियों को समय के साथ आर्थिक हानि भी होती है। साथ ही ग्रामवासियों के लोकल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ पाते हैं, और काश्तकारों को उनकी फसल का मोटर मार्ग उपलब्ध न होने के कारण लाभ नहीं मिल पाता है। इस मोटर रमार्ग के बनने से जहां लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा वहीं राष्ट्र की सम्पन्नता में भी वृद्धि होगी। इसलिये उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि 1.365 हे० नाप भूमि, 1.785 हे० में सिविल वन भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, अर्थात् 1.785 हे० वन भूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


(इ० जे०एस० चौहान)
अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर